



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042022-235345
CG-DL-E-25042022-235345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/वैशाख 5, 1944

No. 224]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

संदर्भ: एचक्यू-पब014/1/2020-पब-बीआईएस(351).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में 20 जनवरी 2021 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में एचक्यू-पब014/1/2020-पब-बीआईएस(129) दिनांक 14 जनवरी 2021:

आई एस 14625 : 2015 के संशोधन संख्या 3 के स्थापित होने की अनुसूची के क्रम संख्या 2, कॉलम(5) में – '10 अक्टूबर 2021' को '15 सितम्बर 2022' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th April, 2022

Ref. HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS(351):—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 20 January 2021 in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

Extraordinary vide HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (129) dated 14 January 2021:

Sl No. 2, column (5) of schedule establishing Amendment No. 3 to IS 14625 : 2015 — Substitute '15 Sept 2022' for '10 Oct 2021'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization— P & M)

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (352):—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 105-A02 : 1993 वस्त्रादि — रंग के पक्केपन का परीक्षण भाग A02 रंग में परिवर्तन का आकलन करने के लिए ग्रे स्केल	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2022	19 अप्रैल 2022	18 मई 2022
2	आई एस 15259 : 2002 होम लिफ्टों का संस्थापन और रख रखाव — रीति संहिता	संशोधन संख्या 2 अप्रैल 2022	19 अप्रैल 2022	18 मई 2022
3	आई एस 15545 (भाग 1) : 2015/आई एस ओ 16589-1 : 2011 थर्मोप्लास्टिक संवृत घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2022	19 अप्रैल 2022	18 मई 2022

	लिप-टाइप सीलें भाग 1 नामीय वीमाएँ एवं छूटें (पहला पुनरीक्षण)			
--	--	--	--	--

इन मानकों में संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवान, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण - I)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (352):—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/ISO 105-A02 : 1993 Textiles — Tests for Colour Fastness Part A02 Grey Scale For Assessing Change in Colour	Amendment No. 1 Apr 2022	19 Apr 2022	18 May 2022
2	IS 15259 : 2002 Installation and Maintenance of Home Lifts — Code of Practice	Amendment No. 2 Apr 2022	19 Apr 2022	18 May 2022
3	IS 15545 (Part 1) : 2015/ISO 16589-1 : 2011 Rotary Shaft Lip-Type Seals Incorporating Thermoplastic Sealing Elements Part 1 Nominal Dimensions and Tolerances (First Revision)	Amendment No. 1 Apr 2022	19 Apr 2022	18 May 2022

Copies of these amendments to standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – I)